

# खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या 1515/आउट ऑफ टर्न पत्रा0/2023-24 दिनांक 17 नवम्बर, 2023

## विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायेजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या-728/VI-3/2023-33 (7) 2014 दिनांक 14 सितम्बर, 2023, यथा संशोधित शासनादेश संख्या-825 दिनांक 01 नवम्बर, 2023 (जो कि खेल विभाग उत्तराखण्ड की वेबसाइट <http://sports.uk.gov.in> पर उपलब्ध है) में निहित प्राविधानों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी खिलाड़ियों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 18 दिसम्बर 2023 (सोमवार) नियत की जाती है।  
संलग्न :- आवेदन पत्र।

  
निदेशक खेल


### प्रतिलिपि :-

1. संपादक, दैनिक समाचार पत्र, हिन्दुस्तान/अमर उजाला/दैनिक जागरण/दैनिक सहारा, देहरादून को इस आशय से कि तीन दिवसों के भीतर एक ही तिथि में "उत्तराखण्ड संस्करण" में 08X05 वर्ग सेमी0 में डी0ए0वी0पी0 दरों पर प्रकाशित कराते हुए बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु खेल निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. समस्त जिला क्रीड़ा अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से अपने-अपने जनपद में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों में खिलाड़ी हित में निःशुल्क प्रकाशित करते हुए स्टेडियमों/कार्यालयों एवं मुख्य सार्वजनिक स्थलों पर भी इसकी सूचना चस्पा की जाये।

  
निदेशक खेल

**उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को  
आउट ऑफ टर्न सेवायोजन आवेदन-पत्र का प्रारूप**

1. पदक विजेता खिलाड़ी का नाम (हिन्दी में).....  
अंग्रेजी में (Capital Letter).....
2. पिता/पति का नाम .....
3. माता का नाम.....
4. जन्म तिथि .....
5. पूर्ण पता (पिन कोड सहित).....  
.....
6. मोबाईल/दूरभाष संख्या.....
7. शैक्षिक योग्यता-



हाई स्कूल	वर्ष -	प्रतिशत/ग्रेड-
इण्टरमीडिएट	वर्ष -	प्रतिशत/ग्रेड-
स्नातक	वर्ष -	प्रतिशत/ग्रेड-
स्नातकोत्तर	वर्ष -	प्रतिशत/ग्रेड-
अधिमानी अर्हताएँ यदि कोई हों तो उल्लेख करें-		

8. खेल का नाम .....
9. प्रतियोगिता का नाम .....
- (वह प्रतियोगिता, जिसे सेवायोजन हेतु आधार बनाया गया है)
10. प्रतियोगिता आयोजन की तिथि.....स्थल.....
11. अर्जित पदक- स्वर्ण ..... रजत..... कांस्य .....
12. वर्गीकरण-

क्र०सं०	खेलों का वर्गीकरण	अर्जित पदक	विवरण
1	ओलम्पिक गेम्स/पैरालम्पिक गेम्स	स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक विजेता	
	विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली/कॉमनवेल्थ खेल 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली) / एशियन गेम्स	स्वर्ण पदक विजेता	
2	विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली/कॉमनवेल्थ खेल 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली) / एशियन गेम्स	रजत पदक विजेता	
3	एशियन चैम्पियनशिप	स्वर्ण पदक विजेता	
	विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप (04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली/कॉमनवेल्थ खेल 04 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाली) / एशियन गेम्स	कांस्य पदक विजेता	
4	एशियन चैम्पियनशिप	रजत एवं कांस्य पदक विजेता	
	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/नेशनल गेम्स/सैफ गेम्स	स्वर्ण पदक विजेता	
5	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/नेशनल गेम्स/सैफ गेम्स	रजत एवं कांस्य पदक विजेता	

13. उत्तराखण्ड राज्य के मूल/स्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र.....
14. आवेदक खिलाड़ी द्वारा जिस वर्ष एवं जिस प्रतियोगिता के आधार पर सेवायोजन हेतु आवेदन किया गया है, उस वर्ष एवं उस अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग से पूर्व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तराखण्ड राज्य से प्रतिनिधित्व का प्रमाण पत्र.....
15. राज्य/राष्ट्रीय संघ जिसके माध्यम से प्रतियोगिता में भाग लिया है का नाम/पता/ईमेल.....

(क)- उस अवधि में संघ के अध्यक्ष का नाम.....

(ख)- उस अवधि में संघ के महासचिव का नाम.....

16. आवेदनकर्ता द्वारा जिस वर्ष एवं जिस प्रतियोगिता के आधार पर सेवायोजन हेतु आवेदन किया गया है

(क)- उस वर्ष उस संबंधित खेल की राष्ट्रीय संघ की अन्तर्राष्ट्रीय संघ से मान्यता प्राप्त का प्रमाण पत्र. ....

(ख)- उस वर्ष उस खेल की भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त का प्रमाण पत्र.....

17. मान्यता प्राप्त राज्य क्रीड़ा संघ/राष्ट्रीय क्रीड़ा संघ की संस्तुति.....

(क)- संस्तुतिकर्ता संघ के अध्यक्ष का नाम..... महासचिव का नाम.....

(ख)- संस्तुतिकर्ता संघ का पूर्ण पता-.....  
ईमेल एवं दूरभाष नं0.....

संस्तुति कर्ता के हस्ताक्षर-

संस्तुति कर्ता का नाम-

संस्तुति कर्ता की मोहर-

18. आउटऑफ टर्न सेवायोजन हेतु चिन्हित विभाग- खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, वन विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग।

सेवायोजन हेतु इच्छित विभागों का वरीयता क्रम...(1).....(2).....  
(3).....(4).....(5).....(6).....

19. शासनादेश संख्या-728 दिनांक 14 सितम्बर, 2023, यथा संशोधित शासनादेश संख्या-825 दिनांक 01 नवम्बर, 2023 में निहित प्राविधानों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों का वर्गीकरण, पदों का विवरण, योग्यताएं, नियुक्ति प्रक्रिया, पदोन्नति, कर्तव्य एवं दायित्व और अन्य दी गई व्यवस्थाओं से आवेदक का सहमति पत्र.....

20. खेल निदेशालय द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर आवेदनकर्ता खिलाड़ी को सीधे अपना आवेदन पत्र निदेशक खेल, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को स्वप्रमाणित समस्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों के साथ उपलब्ध कराना होगा।

21. आवेदन पत्र के साथ संलग्नों की संख्या एवं विवरण.....

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक.....

स्थान.....